



## कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, देवघर

email:-deo-deoghar@jharkhandmail.gov.in/rmsa.deoghar@gmail.com

### कार्यालय-आदेश

प्राचार्य, मधुस्थली इन्सटीच्यूट आफ टीचर ट्रेनिंग, मधुपुर के पत्रांक MITT/ADMIN/22/36 दिनांक 22.02.2022 के द्वारा सत्र 2020-22 (बी० एड० 2nd Year) में नामांकित छात्र-छात्राओं के अभ्यास पाठ हेतु विद्यालय आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

अतः निम्नांकित विद्यालय को दिनांक 03.03.2022 से 04 (चार माह) तक अभ्यास पाठ हेतु आपको आवंटित किये जा रहे हैं। छात्र-छात्राओं के सुविधानुसार अपने स्तर से विद्यालय आवंटित करेंगे।

महाविद्यालय का नाम	आवंटित विद्यालय का नाम
प्राचार्य, मधुस्थली इन्सटीच्यूट आफ टीचर ट्रेनिंग, मधुपुर	01. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उच्च विद्यालय, मधुपुर
	02. एम०एल०जी० उच्च विद्यालय, मधुपुर
	03. अंची देवी सराफ बालिका +2 विद्यालय, मधुपुर
	04. उच्च विद्यालय, पाथरोल
	05. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, मधुपुर
	06. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, करौं
	07. उत्कर्मित उच्च विद्यालय, गड़िया
	08. प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, करौं
	09. उत्कर्मित उच्च विद्यालय, बुढ़ैई
	10. उत्कर्मित उच्च विद्यालय, पंदनियां

शर्त- (1) विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यटीका के अनुसार ही अभ्यास पाठ का कार्यक्रम उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक/वार्डन से मिलकर तय करना होगा कि पठन-पाठन पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ना चाहिए।

(2) एक साथ अधिकतम 5-10 विषयवार प्रशिक्षु का ही दल गठित करेंगे एवं प्रत्येक विद्यालय में मिलाकर टीम तैयार करेंगे।

(3) आवंटित सभी विद्यालय को आच्छादित करना अनिवार्य होगा, किसी सुदुरवर्ती विद्यालय को छोड़ देने की स्थिति में सभी सम्बद्धन रद्द कर दिया जायेगा।

(4) संबंधित विद्यालय प्रधान द्वारा विद्यालय का संचालन विधिवत करना होगा।

(5) प्राचार्य, मधुस्थली इन्सटीच्यूट आफ टीचर ट्रेनिंग, मधुपुर को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त विद्यालयों में अभ्यास पाठ हेतु विषयवार प्रशिक्षणार्थियों को विद्यालय आवंटित करेंगे।

(6) संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को निदेश दिया जाता है कि प्रतिदिन प्रशिक्षणार्थियों की दैनिक उपस्थिति पंजी अलग से संधारित करेंगे एवं प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को समर्पित करेंगे।

(7) सभी प्रशिक्षणार्थियों को कोविड-19 के मद्देनजर सरकारी निदेशानुसार सभी को Mask, Hand Sanitizers & Social Distancing का पालन करना आवश्यक है एवं समय-समय पर सरकार द्वारा दिये गये अन्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

जिला शिक्षा पदाधिकारी  
देवघर।

ज्ञापांक 273 / देवघर, दिनांक 02/03/2022

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, मधुस्थली इन्सटीच्यूट आफ टीचर ट्रेनिंग, मधुपुर / प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक, उच्च, एवं उत्कर्मित उच्च विद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी  
देवघर।

2/3/22

“दहेज नहीं, यह पैसा है; क्या आपका चरित्र भी ऐसा है !”  
“दहेज प्रथा नहीं, व्यापार है; लालची लोगों का हथियार है!”